जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

प्रेषक :
सम्बद्धता विभाग,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

ग्राम : यूनिवर्सिटी
दूरभाष : (0751-244228 (कार्यालय)
ई-मेल : E-mail : jiwajidcdc@gmail.com

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2025/ 58 दिनांक : 28.03.25

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य
समस्त शासकीय एवं अशासकीय विधि महाविद्यालय
सम्बद्ध जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर

विषयः- सत्र 2025-2026 में विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने विषयक।

संदर्भः- अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल से प्राप्त पत्र क्रमांक 263/28/सी.सी./38 भोपाल दिनांक 21 मार्च, 2025

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के संबंध में उल्लेखित है कि, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के परिपालन में आगामी सत्र 2025-26 के लिये त्रिवर्षीय/पंचवर्षीय विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने के संबध में दिशानिर्देश जारी किये गये है।

अतः उक्त संबंध में समस्त संबंधित विधि महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि, जारी निर्देशों का अक्षरसः पालन करना सुनिश्चित करें।

सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. अध्यक्ष/सचिव बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया 21 साउथ एवेन्यू इंस्टीट्यूशनल एरिया नई दिल्ली।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुडा भवन, भोपाल, म.प्र.।
3. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, ग्वालियर-चम्बल संभाग, कस्तूरबा चौराहा कम्पू, लश्कर ग्वालियर।
4. परीक्षा नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. कुलगुरू के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. प्रभारी, आई. टी. सेल. जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु।

डायरेक्टर,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक: 263/28/CC/38 भोपाल, दिनांक 21/03/2025

प्रति,

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
2. कुलसचिव, समस्त राज्य (सार्वजनिक) विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
3. सचिव, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल।

विषय:- सत्र 2025-26 में विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने विषयक।

संदर्भ:- माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में प्रचलित रिट याचिका क्रमांक 2758/2025 में माननीय न्यायालय का आदेश दिनांक 07/03/2025।

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित याचिका में माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 07/03/2025 को निम्नानुसार निर्देश दिए हैं-

> "Henceforth, we hereby make it clear that if any institution or university without any recognition of BCI is giving admission, it will specifically be mentioned that those got the admission in Law Course they will not be enrolled as an Advocate however that would be only for academic purpose."

2/- उक्त निर्देश के परिपालन में आगामी सत्र 2025-26 के लिए त्रिवर्षीय/पंचवर्षीय विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं-

(i) जिन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को सत्र 2025-26 के लिए बी.सी.आई. की वेबसाईट पर प्रदर्शित सूची के अनुसार मान्यता होगी, उनमें प्रवेश देने की अनुमति होगी।

(ii) जिन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को सत्र 2025-26 के लिए बी.सी.आई. की वेबसाईट पर प्रदर्शित सूची अनुसार मान्यता नहीं प्राप्त है, परंतु उनके द्वारा सत्र 2025-26 के लिए शुल्क जमा करने का प्रमाण उपलब्ध कराया जाता है, तो

शपथ पत्र के आधार पर प्रावधिक प्रवेश की अनुमति दी जाएगी एवं इसकी सूचना प्रवेश-पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी।

(iii) जिन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को सत्र 2025-26 के लिए बी.सी.आई. की वेबसाईट पर प्रदर्शित सूची अनुसार मान्यता नहीं प्राप्त है एवं उनके द्वारा सत्र 2025-26 के लिए शुल्क भी जमा नहीं किया गया है, उन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में सत्र 2025-26 में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(iv) जिन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के पास सत्र 2025-26 के लिए बी.सी.आई. द्वारा प्रदत्त मान्यता का पत्र हो परंतु, बी.सी.आई. की वेबसाईट पर उनका नाम प्रदर्शित नहीं हो अथवा जानकारी में विभेद हो, वहां प्रावधिक प्रवेश की अनुमति दी जाएगी एवं इसकी सूचना प्रवेश-पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी।

(v) ऊपरोक्त कंडिकाओ के तारतम्य में प्रवेश-पोर्टल पर यह प्रदर्शित किया जाएगा कि जिन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के विधि पाठयक्रमों को बी.सी.आई. से मान्यता नहीं प्राप्त है, उनमें प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत होने के लिए अपात्र हो सकते हैं, परन्तु अकादमिक उदेश्यों के लिए वे प्रवेश ले सकते हैं।

Rajan

(अनुपम राजन)
अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक: 264/28/CC/38 भोपाल, दिनांक 21/03/2025

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा।
2. निज सहायक, माननीय राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव, राजभवन, भोपाल्।
3. सभापति, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल।

Rajan

अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग